



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-के.ए.-अ.-09092025-266002
CG-KA-E-09092025-266002

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3946]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 4, 2025/भाद्र 13, 1947

No. 3946]

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 4, 2025/BHADRA 13, 1947

रेल मंत्रालय

(दक्षिण पश्चिम रेलवे/निर्माण संगठन)

अधिसूचना

बैंगलुरु, 4 सितंबर, 2025

का.आ. 4058(अ).—रेलवे अधिनियम, 1989 (1989 का 24) की धारा 20 एफ के खंड (6) और धारा 2 के खंड 7ए द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रेल मंत्रालय (दक्षिण पश्चिम रेलवे, निर्माण संगठन, बैंगलुरु छावनी) एतद्वारा नीचे दी गई तालिका के कॉलम (4) में उल्लिखित अधिकारियों को 'सक्षम प्राधिकारी' और नीचे दी गई तालिका के कॉलम (5) में उल्लिखित अधिकारियों को 'मध्यस्थ' के रूप में उक्त अधिनियम के तहत ऐसे प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए अधिकृत करता है, जो भूमि अधिग्रहण के लिए सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नीचे दी गई तालिका के कॉलम (3) में उल्लिखित जिले से संबंधित कॉलम (2) में उल्लिखित विशेष रेलवे परियोजनाओं के संबंध में आधिकारिक राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगा।

सारणी

क्र.सं.	परियोजना का नाम	जिला	सक्षम प्राधिकारी	मध्यस्थ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	गदग - होटगी खंड -संकेश्वर - कूडलसंगमा (राज्य राजमार्ग -44) रोड पर किमी: 80/600-700 पर समपार संख्या 41 के स्थान पर सड़क ऊपरी पुल	बागलकोट	सहायक आयुक्त, बागलकोट	क्षेत्रीय आयुक्त, बेलगाम

	का प्रस्तावित निर्माण, बो स्ट्रिंग गिरडर के साथ 1x30.00 मीटर लंबा रेलवे स्पैन जिसमें (2x18.46 मीटर + 2x18.46 मीटर) प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट गिरडर स्पैन + यू-ट्रफ एप्रॉच सहित रिटेनिंग वॉल का निर्माण।			
2.	गदग - होटगी खंड - बागलकोट - बादामी (राज्य राजमार्ग-57) रोड पर किमी: 67/600-700 पर समपार संख्या 34 के स्थान पर सड़क ऊपरी पुल का प्रस्तावित निर्माण, बो स्ट्रिंग गिरडर के साथ 1x60.00 मीटर लंबा रेलवे स्पैन जिसमें (3x18.46 मीटर + 3x18.46 मीटर) प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट गिरडर स्पैन + यू-ट्रफ एप्रॉच सहित रिटेनिंग वॉल का निर्माण।	बागलकोट	सहायक आयुक्त, बागलकोट	क्षेत्रीय आयुक्त, बेलगाम

[फा. सं. डब्ल्यू.271/नि/बैं छा /2025-26/भूमि विरेप/1727]

प्रदीप पुरी, मुख्य अभियंता-III/निर्माण

MINISTRY OF RAILWAYS
(SOUTH WESTERN RAILWAY CONSTRUCTION ORGANISATION)
NOTIFICATION

Mumbai, the 4th September, 2025

S.O. 4058(E).—In the exercise of the powers conferred by clause (6) of section 20F and clause 7A of section 2 of the Railway Act, 1989 (24 of 1989) the Ministry of Railway (South Western Railway, Construction Organization, Bengaluru Cantonment) hereby authorizes the officers mentioned at column (4) in the table below as ‘Competent Authority’ and the officers mentioned at column (5) in the table below as ‘Arbitrator’ to perform the functions as such authority under the said act with effect from date of publication of this notification in the official gazette in respect of Special Railway Projects mentioned at column (2) relating to districts mentioned at column (3) in the table below for Land Acquisition required for the public purpose.

TABLE

Sl. No.	Name of the Project	District	Competent Authority	Arbitrator
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Gadag - Hotgi Section - Proposed Construction of ROB in Lieu of LC No. 41, 1x30.00m Railway span with Bow String Girder including approaches with (2x18.46m+2x18.46m) PSC Girder spans + U-troughs Retaining wall at Km: 80/600-700 on Sankeshwar - Kudalasangama (SH-44) Road.	Bagalkot	Assistant Commissioner, Bagalkot	Regional Commissioner, Belgaum
2.	Gadag - Hotgi Section - Construction of ROB in lieu of LC No. 34, 1x60.00m Railway span	Bagalkot	Assistant Commissioner,	Regional Commissioner,

with Bow string girder including approaches with (3x18.46m+3x18.46m) PSC Girder Spans + U-troughs Retaining wall at Km: 67/600-700 on Bagalkot - Badami (SH-57) Road.		Bagalkot	Belgaum
---	--	----------	---------

[F. No. W.271/CN/BNC/2025-26/Land SRP/1727]

PARDEEP PURI, Chief Engineer-III/Construction